

न्यायालय कलेक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2019 (रे.वि.)

पंजीयन दिनांक 25.01.2019

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (DHFL) एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय-वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर. पी. एम. रोड़, फाई मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल जयपुर टावर, एम. आई. रोड़, जयपुर राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश यादव

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री रईस मोहम्मद पठान निवासी पट्टा नम्बर 11, ग्राम पंचायत नंदवाई, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ एवं द्वितीय पता:-एच राजकीय हॉस्पिटल, नंदवाई, राजकीय हॉस्पिटल के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.)-312023 एवं कार्यालय पता:- निलिया का मल, बेगूं, देवनारायण मंदिर के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.)-312023
- 2-श्रीमति नसीम बानू निवासी:-एच राजकीय हॉस्पिटल, नंदवाई, राजकीय हॉस्पिटल के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.)-312023 एवं निवासी पट्टा नं. 11, ग्राम पंचायत नंदवाई, तहसील-बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)-312023

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.07.2019

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 8,72,227/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 26.02.2019 को जवाब प्रस्तुत किया उसके बाद विपक्षी संख्या 1 भी बावजूद सूचना के

  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी।

वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

पट्टा नम्बर 11, ग्राम पंचायत नन्दवाई, तहसील-बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312023 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट है तथा उक्त सम्पत्ति श्री रईस मोहम्मद पठान पुत्र श्री दोस्त मोहम्मद पठान के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.12.2006 ईस्वी के अनुसार लिखी गई है

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 16.05.2018 तक राशि रूपये 8,93,562/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्ज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटार्इजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(शिवांगी स्वर्णकार)  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़ (राज.)